फा.सं. 1-2/2019-NMA (Adm.) pt (Comp. No. 16296)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्यों के 04 (चार) पद भरने के लिए आमंत्रित आवेदन

केंद्र सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत गठित निकाय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के पूर्णकालिक सदस्यों (04) के रूप में नियुक्ति के लिए पुरातत्व, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वास्तुकला, विरासत, संरक्षण-वास्तुकला या कानून के क्षेत्र में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता वाले प्रतिष्ठित पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

(क) पूर्णकालिक सदस्य उच्च प्रशासनिक ग्रेड में वेतन एवं ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो भारत सरकार के अपर सचिव रैंक के अधिकारी को स्वीकार्य हैं।

(ख) पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल उस तिथि से तीन वर्ष का होगा जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारत सरकार या राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय में कोई पद धारण कर चुका है या ऐसे किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, वह प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे या तो अनुमति या लाइसेंस दिया गया था या ऐसी किसी भी अनुमति से इनकार कर दिया था या लाइसेंस लेने से इनकार कर दिया था या किसी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार को निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई रुचि थी, वह सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए, "रिश्तेदार" का अर्थ है:-

(i) एनएमए के सदस्य का जीवनसाथी;

(ii) एनएमए के सदस्य का भाई या बहन;

(iii) एनएमए के सदस्य के पति या पत्नी का भाई या बहन;

(iv) एनएमए के सदस्य के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन;

(v) एनएमए के सदस्य का कोई भी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती वंशज;

(vi) एनएमए के सदस्य के जीवनसाथी का कोई भी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती वंशज;

(vii) खंड (ii) से (vi) में निर्दिष्ट व्यक्ति का जीवनसाथी।

(ङ) पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी और उक्त पद पर नियुक्त पदधारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।

(च) डब्ल्यूटीएम के पद पर नियुक्त व्यक्ति सेवारत सरकारी सेवकों के लिए लागू सीएल/ईएल का हकदार होगा। किन्तु वह एलटीसी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सरकारी आवास आदि का हकदार नहीं होगा।

(छ) पूर्णकालिक सदस्य का मुख्यालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली होगा।

2. ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक क्षेत्रों के इच्छुक प्रतिष्ठित प्रोफेशनल अपने वर्तमान व्यवसाय और/या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मामले में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की एक प्रति, जिसमें केंद्र सरकार के विचारार्थ उनके अनुभव और विशेषज्ञता को समझाया गया हो, संलग्न करके अपनी परिलब्धियों/वेतन स्तर/पे बैंड के साथ अपने जीवनवृत्त (सीवी) सहित अपने आवेदन सादे कागज पर निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के पास या ई-मेलः **director@nma.gov.in** के माध्यम से भेज सकते हैं। एनएमए में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **30.08.2023** है।

विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **https://www.nma.gov.in** देखें

CBC 09125/12/0001/2324